<u>न्यायालय:—अमनदीपसिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,</u> जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण कमांक 766 / 10 संस्थित दिनांक —05 / 10 / 10

म0प्र0	राज्य	द्वारा,	थाना	परसवाड़ा
जिला	बालाध	ग्राट्र 🗓	ा०प्र०	

..... अभियोगी

🏏 / विरूद्ध / /

 श्रीराम पिता चंदूलाल लिल्हारे उम्र 54 वर्ष साकिन हीरापुर थाना भरवेली जिला बालाघाट म0प्र0

...... आरोपी

::<u>निर्णय::</u> दिनांक **23 / 03 / 2017** को घोषित}

- 1. अभियुक्त श्रीराम के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा—304(ए) के अंतर्गत यह दण्ड़नीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 29/08/10 को समय दिन के करीब 10:00 बजे स्थान दलवाड़ा पुलिया डोरा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा के अंतर्गत वाहन ट्रक कमांक एम.एच.31/डब्ल्यू 5373 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर दिनेश की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है।
- 2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता चैनसिंह ने थाना परसवाड़ा में इस आशय की सूचना दी है कि उसका भांजा दिनेश इनवाती दिनांक 29.08.10 दिन रविवार सुबह 08:30 बजे बड़गांव जाने के लिए घर से निकला था। करीब 11:30 बजे बड़गांव वाले गुरूजी रामूसिंह उइके ने आकर बताया कि दिनेश दलवाड़ा पुलिया के पास ट्रक एक्सीडेण्ट से मृत अवस्था में पड़ा है। जिसके बाद गुरूजी के साथ घटनास्थल जाकर देखने पर उसके भांजे का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ था, जिसका सिर मिट्टी पर कुचला हुआ था। उसके सिर, कान तथा थैले पर टायर के निशान थे। बड़गांव के लोगों ने उसे बताया कि ट्रक चालक ने तेज रफतार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसके भांजे को मारा है। सूचना पर अपराध कायम कर, घटनास्थल का मौकानक्शा बनाकर मृत्यु पंचायतनामा तथा शव परीक्षण की कार्यवाही की गयी। दौरान विवेचना गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना में प्रयुक्त वाहन ट्रक को जप्त कर वाहन परीक्षण कराकर अभियुक्त को गिरफतार करने

के पश्चात सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोप को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं में यह प्रतिरक्षा ली है, कि वह निर्दोष हैं तथा उसे झूठा फंसाया गया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।
- 4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
 - (1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 29/08/10 को समय दिन के करीब 10:00 बजे स्थान दलवाड़ा पुलिया डोरा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा के अंतर्गत वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच.31/डब्ल्यू 5373 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर दिनेश की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता ?

ः:सकारण निष्कर्षः:

विचारणीय प्रश्न कमांक 1

- 5. चैनसिंह (अ.सा.८) का कथन है कि घटना उसके साक्ष्य देने की तिथि से करीब दो वर्ष पुरानी है। मृतक दिनेश को चक्कर आते थे जो दवाई लेने घटना के एक दिन पहले शाम उसके घर आकर रूका था और सुबह दवा लेकर चला गया। उसे लोगों ने बताया कि एक्सीडेण्ट में दिनेश की मृत्यु हो गयी है, तब वह गुरूजी के साथ घटनास्थल दलवाड़ा पुलिया के पास पहुंचा तो देखा कि लाश चूरा हो गयी थी। फिर उसने थाना जाकर प्र.पी.05 की रिपोर्ट लिखायी थी। पुलिस ने उसकी निशांदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.06 बनाया था जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने उसके समक्ष पंचायत नामा प्र.पी.02 बनाया था जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने घटना के संबंध में उसके बयान लिये थे।
- 6. ईश्वरसिंह (अ.सा.1) का कथन है कि घटना दिनांक को दुरपसिंह, दिडी और वह उकवा से परसवाड़ा मोटरसाईकिल से आ रहे थे। मृतक दिनेश पैदल था जिसको भीड़ी से आगे ट्रक ने ठोस मार दिया था जिससे घटनास्थल पर ही वह फौत हो गया था। उस समय ट्रक कौन चला रहा था उसे जानकारी नहीं है क्योंकि वह आगे बढ़ गया था। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी।
- 7. देवकीबाई (अ०सा०3) का कथन है कि घटना दिनांक को उसका पित मेहमानी में गया हुआ था। उसे सूचना मिली कि उसके पित को ट्रक वाले ने टोस मार दिया है तब वह घटनास्थल पर गयी तो उसके पित की मृत्यु हो गयी थी जिसका सिर नहीं था। घटना के संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी।

शा० वि० श्रीराम

- 8. दुरपसिंह (अ०सा०४) का कथन है कि घटना दिनांक को वह अपनी मोटरसाईकिल से ईश्वरदयाल और अन्य व्यक्ति के साथ उकवा से अपने घर ग्राम डोरली जा रहा था। दलवाड़ा के पास एक लड़के का ट्रक से एक्सीडेण्ट हो गया था जो पैदल जा रहा था। आहत दिनेश के सिर से ट्रक का चक्का चला गया था जो घटनास्थल पर ही मर गया था। आज उसे ट्रक का नम्बर ध्यान नहीं है और वह नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती से हुई थी। सूचन प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहत दिनेश रोड़ के साईड़ से चल रहा था। उसे ट्रक के ड्रायवर ने टक्कर मार दी थी और उसके सिर से चक्का चला गया था।
- 9. उदेलाल (अ०सा०७) का कथन है कि घटना के समय वह अपनी मोटरसाईकिल से अपनी लड़की को लेकर उसके ससुराल ग्राम खारी छोड़ने जा रहा था। करीब 10:30 बजे उसे दलवाड़ा पुलिया के आगे एक आदमी मिला जिसने बताया कि ट्रक के चालक ने किसी का एक्सीडेण्ट कर दिया है। उसने पूछा था कि ट्रक वाला किधर भागा है तो उस व्यक्ति ने बताया कि परसवाड़ा तरफ गया है। फिर उस व्यक्ति को घटना की सूचना पुलिस थाना परसवाड़ा को देने को कहकर वह चला गया। जगदीश (अ०सा०११) और रतनलाल (अ०सा१२) का कथन है कि मृत्यु जांच पंचनामा प्र.पी.०१ एवं नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.०2 के बी से बी एवं सी से सी भागों में उनके हस्ताक्षर हैं।
- 10. बुद्धनलाल (अ०सा०२) का कथन है कि वह आरोपी तथा मृतक को नहीं जानता है। थाना परसवाड़ा में उसे और दो—तीन लोगों को बैठाकर घ । टनास्थल पर ले गये थे और पंचनामा में उसके हस्ताक्षर लिये थे। मृत्यु जांच में उपस्थित आवेदन पत्र प.पी.01 एवं नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.02 के अ से अ भागो पर उसके हस्ताक्षर हैं। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर मृतक को ट्रक एक्सीडेण्ट से चोट आना प्रतीत हो रहा था तथा घटनास्थल पर मिट्टी में ट्रक के निशान पाये गये थे। नक्शा पंचनामा का अन्य साक्षी दुलीचंद (अ०सा16) पक्षद्रोही रहा है जिसने पंचनामा कार्यवाही से इंकार कर सूचना प्र.पी.01 तथा पंचायतनामा प्र.पी.02 के डी से डी भागों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। घटना के अन्य साक्षी शिवप्रसाद (अ०सा05) शंकरलाल (अ०सा06) पूर्णत: पक्षद्रोही रहे हैं। जिन्होंने घटना के बारे में कोई भी जानकारी न होना व्यक्त कर पुलिस को किसी भी प्रकार के बयान देने से इंकार किया है।
- 11. राजकुमार (अ०सा०९) का कथन है कि उसके ट्रक का नम्बर एम.एच.31 / डब्ल्यू 5373 था। उसे पुलिस थाना परसवाड़ा की ओर से एक नोटिस दिया गया था कि दिनांक 29.08.10 को उक्त ट्रक का चालक कौन था

जिसका लिखित जवाब प्र.पी.07 उसने पुलिस को दिया था। जिसमें यह लेख था कि घटना दिनांक को उक्त ट्रक का ड्रायवर श्रीराम पिता चंदुलाल लिल्हारे था।

- 12. डां. आर.के.नकरा (अ०सा१०) का कथन है कि दिनांक 29.08.10 को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र परसवाड़ा में थाना परसवाड़ा से मृतक दिनेश पिता कमलिसंह का शव परीक्षण हेतु लाने पर शाम 04:30 बजे उसके द्वारा शव परीक्षण किया गया था। मृतक के सिर पर सामने की ओर कुचला हुआ घाव तथा बहुत से छिले हुए घाव थे जो कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रहे थे। मृत्यु शरीर के आंतरिक अगों के फटने एवं सिर में आयी चोटों के कारण हुई थी जो दुर्घटना में आना प्रतीत होती थीं। चोट परीक्षण के आठ से दस घण्टें के पूर्व की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.08 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्ती साक्षी राजेश आमाडारे (अ०सा१४) पक्षद्रोही रहा है। जिसने उसके समक्ष आरोपी से जप्ती कार्यवाही से इंकार कर जप्ती पत्रक प्र.पी.09 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.13 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किया है।
- 13. विवेचक एम.एल.बंशकार (अ०सा०13) का कथन है कि दिनांक 02.09.10 को थाना परसवाड़ा में अपराध कमांक 43/10 की केस डायरी विवचेना हेतु प्राप्त होने पर उसने साक्षी शंकरलाल, दुरपिसंह, उदेलाल एवं दिनांक 03.09.10 को साक्षी शिवप्रसाद के कथन लेखबद्ध किये थे। दिनांक 02. 09.10 को आरोपी श्रीराम से गवाहों के समक्ष ट्रक कमांक एम.एच. 31/डब्ल्यू—5373 मय कागजात जप्त कर जप्ती पचनामा प्र.पी.09 बनाया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी श्रीराम को साक्षियों के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.10 तैयार किया था। जप्ती पंचनामा प्र.पी.09 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.10 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने दुध् दिना कारित वाहन के स्वामी राजकुमार सेवईवार को नोटिस प्र.पी.07 देकर वाहन चालक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसने जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल मुलाहिजा कराया था।
- 14. एम.एल.बंशकार (अ०सा०13) का कथन है कि उसे केस डायरी मिलने से पूर्व थाना परसवाड़ा में पदस्थ निरीक्षक अनिल सोनकर द्वारा विवेचना की कार्यवाही की गयी है जिनके हस्ताक्षर साथ कार्य करने के करण वह पहचानता है। अनिल सोनकर द्वारा दिनांक 29.08.10 को मर्ग की कार्यवाही कर मर्ग इंटीमेशन प्र.पी.11 तैयार किया गया जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। मौके पर गवाहों के उपस्थित होने बाबत सूचना पत्र प्र.पी.01 दिया गया था तथा पंचनामा प्र.पी.02 तैयार किया गया था जिसके डी से डी भाग पर

शा0 वि0 श्रीराम

श्री सोनकर के हस्ताक्षर हैं। मृतक के शव का परीक्षण करने हेतु आवेदन पत्र प्र.पी.12 दिया गया था जिसके ए से ए भाग पर श्री सोनकर के हस्ताक्षर हैं। श्री सोनकर ने साक्षी देवकीबाई, बुद्धनलाल, ईश्वरदयाल, चैनिसंह के बयान लेखबद्ध किये थे। उक्त कार्यवाही के पश्चात श्री सोनकर के द्वारा अज्ञात वाहन चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 43/10 धारा 304ए भा.दं0सं0 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 लेख की थी जिसके ए से ए भाग श्री सोनकर के हस्ताक्षर हैं। उक्त कार्यवाही के पश्चात श्री सोनकर द्वारा धाटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.06 बनाया गया था जिसके ए से ए भाग पर श्री सोनकर के हस्ताक्षर हैं।

- उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को दुध 15. टिना में दिनेश इनवाती की मृत्यु कारित हुई थी। परंतु क्या उक्त दुर्घटना अभियुक्त द्वारा कथित वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर की गयी इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। किसी भी साक्षी द्वारा कथित वाहन से अभियुक्त द्वारा दुर्घटना करने के संबंध में कथन नहीं किये गये है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी दुरपसिंह (अ०सा०४), ईश्वर (अ०सा०१) ने मात्र ट्रक द्वारा दुध टिना करने के कथन किये हैं। दोनों साक्षियों ने अभियुक्त को पहचानने से इंकार कर ट्रक का नम्बर तथा प्रकार नहीं मालुम होना व्यक्त किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 भी अज्ञात ट्रक चालक के विरूद्ध दर्ज की गयी है। केवल साक्षी राजकुमार (अ०सा०९) ने कथन किये हैं कि उसने अपने लिखित जवाब प्र.पी.07 में लिखकर दिया था कि घटना दिनांक 29.08.10 को उसके ट्रक क्रमांक एम.एच.31 / डब्ल्यू – 5373 का चालक अभियुक्त श्रीराम था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके दो-तीन ट्रक और चार-पांच ड्रायवर हैं तथा घटना दिनांक को जिस ट्रक से एक्सीडेण्ट हुआ था उसे कौन चला रहा था वह नहीं बता सकता। उक्त साक्षी की साक्ष्य से भी यह सिद्ध नहीं होता है कि कथित ट्रक कमांक एम.एच.31 / डब्ल्यू-5373 के चालक अभियुक्त द्वारा ही घटना कारित की गयी थी क्योंकि साक्षी ने कथित ट्रक द्वारा ही प्रश्नगत दुर्घटना करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं एवं किसी भी साक्षी ने अभियुक्त और कथित ट्रक के संबंध में लेश मात्र कथन नहीं किये हैं। मात्र विवेचक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर उक्त संबंध में कोई उपधारणा नहीं की जा सकती।
- 16. यदि यह मान भी लिया जाय कि कथित वाहन से अभियुक्त द्वारा दुर्घटना की गयी थी तब भी उपेक्षा अथवा उतावलेपन के संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी दुरपिसंह (अ०सा०४) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह दूर था इसिलए उसने एक्सीडेण्ट होते हुए नहीं देखा था, दुर्घटना किसकी गलती से हुई वह नहीं बता सकता। वह

शा० वि० श्रीराम

दुर्घटना होने के बाद घटनास्थल पर पहुंचा था तथा मृतक दिनेश किस साईड से चल रहा था वह नहीं बता सकता। जबकि ईश्वर (अ०सा०1), उपेक्षा अथवा उतावलेपन के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि घटना दिनांक को घटना के समय आरोपी श्रीराम द्वारा प्रश्नगत ट्रक को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर दिनेश की ऐसी मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आता है।

- 17. उपरोक्त विवेचना से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी श्रीराम ने दिनांक 29/08/10 को समय दिन के करीब 10:00 बजे स्थान दलवाड़ा पुलिया डोरा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा के अंतर्गत वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच.31/डब्ल्यू 5373 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर दिनेश की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है। अतः आरोपी श्रीराम को भाठंद०संठ की धारा 304ए के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 18. आरोपी के जमानत मुचलके द०प्र०सं० 437क के आलोक में विहित समयाविध 6 माह उपरांत भारमुक्त होंगे और उक्त अविध पश्चात् जमानतदार भी उन्मोचित होगा।
- 19. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच. 31 / डब्ल्यू 5373 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। अपील अवधि पश्चात् सुपुर्दनामा वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन हो।
- 20. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)